

न्यायालय:-माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय-बैहर

C.R.A./37/2017

F.No. CRA/1551/2017

CNR0MP5005002317-2017

संस्थित दिनांक - 10.10.2017

- 1- गसीलाल उम्र 35 वर्ष पिता भीखऊ मिटवाने
 - 2- गणेश उम्र 40 वर्ष पिता भीखऊ मिटवाने
 - 3- गोविन्द उम्र 36 वर्ष पिता भीखऊ मिटवाने
- सभी जाति अहीर निवासी-मरारीटोला (दमोह) थाना व तहसील
जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अपीलार्थीगण ।

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-आरक्षी केन्द्र- बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - उत्तरवादी ।

=====

{न्यायालय:-श्री अमनदीपसिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-483/2005 में पारित निर्णय दिनांक
18.09.2017 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के अंतर्गत
यह दण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

=====

श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण ।
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी/राज्य ।

=====

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक **04 दिसम्बर 2017** को घोषित)

1. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 37/2017 शासन बनाम में पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 18.09.2017 से परिवेदित होकर पेश की गई है ।
2. स्वीकृत तथ्य यह है कि शिवबतीबाई (अ.सा.1), प्रहलाद (अ.सा.2), कंशलाल (अ.सा.3), निर्मलाबाई (अ.सा.4), अब्दुल मतीन (अ.सा.5), रामादीन (अ.सा.6), गुलेदीबाई (अ.सा.7), मिलन (अ.सा.8) अभियुक्तगण को पहचानते हैं ।

3. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 03.05.2011 को प्रातः 7:00 बजे प्रार्थिया सुबतीबाई ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को वह घर पर मुंह धो रही थी तभी गसीलाल, गोविन्द और गणेश हाथ में लाठी लेकर उसके घर के अंदर घुस गये और मां बहन की गंदी-गंदी गालियां (दी गई गालियों का स्पष्ट उल्लेख है) देने लगे और बोले की तुम लोगों ने हमारी लड़की भगवाये हो मारो साले को और प्रार्थिया को गणेश ने पकड़कर रखा और बाएं हाथ पर लाठी से गोविन्द ने मारा और दाहिने हाथ पर गस्सी ने मारा और बोले की मादरचोदो को जान से खत्म कर दो, साक्षी ने बचाव कहकर चिल्लाया तो लड़का मिलन, कनसलाल आए तो उन्हें भी लाठी से सिर, हाथ, कंधे पर मारपीट किए और बोले की उनकी बच्ची को वापस बुलवाओ नहीं तो और मारेगें कहकर वहां से चले गये, लड़के मिलन सिंह और कनसलाल के साथ रिपोर्ट करने आयी है कि रिपोर्ट के आधार पर थाना बिरसा ने दिनांक 03.05.2017 को 10:15 बजे धारा 294, 323, 506बी, 452, 34 भा.द.वि. के अधीन आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना लेख कर अपराध क्रमांक 44/11 की कायमी कर आहत फरियादिया का परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन न करते हुए विधि विपरीत निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 से 12 तक के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष होने के बावजूद अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, प्रकरण को सही मानकर विधि विपरीत रूप से अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है, अपीलार्थीगण को परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ न देकर त्रुटि की है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दण्डाज्ञा विधिकरूपेण शून्य होकर निरस्त कर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क.483/2005, शासन विरुद्ध गसीलाल + 2 निर्णय दिनांक 18.09.2017 को अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित निर्णय में

साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

6. अपीलार्थीगण की ओर से श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए।
7. सुकबतीबाई (अ.सा.1) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना पिछले वर्ष बैसाख की मरारीटोला दमोह की सुबह 7 बजे की है। आरोपीगण हाथ में डंडे लेकर आए थे, लाठी लेकर वे घर में घुस गये थे। आरोपीगण ने साक्षी के पुत्र संतलाल और मिलन को लाठी से मारपीट की तथा साक्षी के साथ भी लाठी से मारपीट किया जिसमें साक्षी का हाथ टूट गया था। आरोपीगण के मारने पर लड़के को पीठ, कंधे में चोट आयी थी, मिलन को पैर में चोट आयी थी, पैर टूट गया था। साक्षी के द्वारा की गई रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर मौकानक्शा प्र.पी. 2 बनाया था जिसपर साक्षी के हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने मुलाहिजा कराया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि झनक ने दुर्गा को भगाकर लेजा लिया था। यह इंकार किया है कि आरोपीगण यह पूछने आए थे कि झनक ने दुर्गा को कहां ले गया है। स्वतः कहा आरोपीगण ने घर के अंदर लठ लेकर मारपीट करने आए थे। यह स्वीकार किया है कि घटना वर्ष 2011 के अप्रैल माह की है। स्वतः कहा 3 तारीख की है। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट साक्षी को पढ़कर नहीं सुनाई थी। बचाव में दिए गए सुझावों को इंकार किया है।
8. कंशलाल (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को जानता है। प्रार्थी सुकबती को भी जानता है। आहत मिलन को भी जानता है। घटना दिनांक 03.05.2011 को सुबह 7:00 बजे मरारटोला दमोह की है। घटना के समय साक्षी घर पर था। साक्षी ने देखा कि तीनों आरोपीगण आए और लाठी से साक्षी की मां सुकबती को मारपीट किए, मिलन और साक्षी ने बीच बचाव तो साक्षी को भी डंडे से मारपीट की जिससे साक्षी के कंधे, हाथ में चोट लगी थी, साक्षी की मां का हाथ टूट गया था, साक्षी के भाई मिलन का पैर टूट गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी तब पुलिस को साक्षी ने घटना के बारे में बताया था। सूचक प्रश्न के उत्तर में पद क्रमांक 2 में स्वतः कथन किया

है कि पुलिस ने आज तक घटना के संबंध में बयान नहीं लिए थे। घटना कैसे हुई, के संबंध में पुलिस ने साक्षी से पूछताछ नहीं की थी। यह स्वीकार किया है कि घटना के बारे में पहली बार बता रहा है। आरोपीगण को झूठा फंसाना इंकार किया है। यह इंकार किया है कि गिरने से चोट आयी थी।

9. मिलन (अ.सा.8) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि आरोपीगण को जानता है, प्रार्थिया सुकबती को जानता है। घटना लगभग 3 साल पुरानी साक्षी के घर सुबह 07:00 बजे ग्राम दमोह की है। आरोपीगण मां बहन की गाली बकते हुए आए और साक्षी को मारपीट किए थे जिससे साक्षी के सिर, पैर, छाती में चोट आयी थी। आरोपीगण ने साक्षी की मां सुकबती को भी मारपीट किए थे। साक्षी ने प्र.डी. 10 का बयान पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से दिए गए सुझाव को इंकार किया है।

10. डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.9) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.05.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक क्रमांक 795 द्वारा आहत कंशलाल पिता मेहतर उम्र 20 वर्ष निवासी दमोह को साक्षी के समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत का परीक्षण करने पर उसके दाहिने कंधे पर खरोंच का निशान 1 इंच गुणा आधा इंच आकार का था, चोट क्रमांक 2 दाहिने कंधे पर एक सूजन 3 इंच गुणा 2 इंच आकार की थी, चोट क्रमांक 3 दाहिने हाथ की प्रथम उंगली पर आधा इंच गुणा आधा इंच आकार की खरोंच थी। सभी चोटें कड़ी व खुरदुरी वस्तु से आना दर्शित होती थी, सभी चोटों की प्रकृति साधारण होकर परीक्षण पूर्व 6 घंटे के अवधि की थी। परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

11. पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि उक्त थाने की महिला आरक्षक ज्योति क्रमांक 829 ने आहत सुकबती पति मेहतर उम्र 60 वर्ष निवासी दमोह को साक्षी के समक्ष लाया था। परीक्षण करने पर उक्त आहत की बाएं कलाई पर एक सूजन थी जिसका आकार 6 इंच गुणा 4 इंच था, दूसरी चोट बायीं अग्र भुजा पर कटी फटी थी जिसका आकार 1 इंच गुणा 1 इंच गुणा आधा इंच था। उक्त आहत के दाहिने अग्र भुजा पर तीसरी चोट कटी फटी थी जिसका आकार 1/2 इंच गुणा 1/2 इंच गुणा 4 इंच था। साक्षी के मतानुसार सभी चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 2, 3

की प्रकृति साधारण थी। चोट क्रमांक 1 में कलाई के हड्डी टूटने की संभावना को देखते हुए उसे अस्थिरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट की ओर रेफर किया था। सभी चोटों परीक्षण से 6 घंटे पूर्व की थी। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

12. इसी साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि उक्त दिनांक को ही थाना बिरसा के आरक्षक अमन क्रमांक 795 ने आहत मिलन पिता मेहतर उम्र 19 वर्ष निवासी दमोह को मुलाहिजा हेतु लाया था। परीक्षण करने पर आहत के दाहिने घुटने पर 1 इंच गुणा 1 इंच आकार की खरोंच थी, आहत के बाएं पैर के पंजे पर 3 इंच गुणा 3 इंच आकार की सूजन थी, बाएं आख के बाहरी भाग पर एक सूजन 2 इंच गुणा 2 इंच आकार की थी, दाहिनी कनपटी पर डेढ़ इंच गुणा एक इंच आकार की सूजन थी, साक्षी के मतानुसार उक्त सभी चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी, चोटों की प्रकृति सामान्य थी, जो परीक्षण पूर्व 6 घंटे की थी, परीक्षण रिपोर्ट प्र. पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 11 की आहत कंसलाल को आयी चोटें कड़े व खुरदुरे वस्तु से गिरने से आ सकती है। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 12, प्र. पी. 13 के अनुसार आहत को आयी चोटें भी कड़ी व खुरदुरी वस्तु पर गिरने से आ सकती है।

13. डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.10) रेडियोलॉजिस्ट ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 19.05.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 04.05.2011 को एक्स-रे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत सुकबती पति मेहतर उम्र 60 वर्ष निवासी दमोह थाना बिरसा को डॉ. मेश्राम के रेफर करने पर बाएं हाथ की कलाई के जोड़ का एक्स-रे किया था। एक्स-रे प्लेट नंबर 1591 है जो आर्टिकल ए-1 है उसे आरक्षक ज्योति क्रमांक 829 ने परीक्षण कराने लाया था। उक्त एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर साक्षी ने पाया कि उसके बाएं हाथ के रेडियस एवं अलना हड्डी के निचले 1/3 भाग पर अस्थिभंग था। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 14 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कड़े स्थान पर बलपूर्वक हाथ के बल गिरने से उक्त चोट आ सकती है।

14. प्रहलाद (अ.सा.2) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपी गसीलाल, गणेश, गोविंद को जानता है। फरियादी सुकबती को भी जानता है। कंशलाल, मिलन को भी जानता है, घटना 3 साल पुरानी मरारटोला दमोह की सुबह 7 बजे की है। उस समय साक्षी अपने घर पर था। घर के सामने मंजन कर रहा था तब आरोपी आए और गाली गलौच कर जान से मारने का बोल रहे थे तब साक्षी वहां से भाग गया। साक्षी के चाचा मिलन को आरोपीगण मारने आए हैं, झगड़ा शांत होने के बाद घर आया तो देखा दादी सुकवंती का हाथ टूटा था, मिलन का पैर टूटा हुआ था, उसके बाद रिपोर्ट करने थाने गये।

15. सूचक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि आरोपीगण बोल रहे थे कि उनकी लड़की को बुला दो नहीं तो जान से खतम कर देंगे। साक्षी ने प्र.पी. 3 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि कंशलाल, दादी सुकवंतीबाई के पास साक्षी जब पहुंचा था, के पहले झगड़ा खत्म हो गया था। आरोपीगण के द्वारा की गई मारपीट नहीं देखी। यह स्वीकार किया है कि आरोपी गणेश की लड़की दुर्गा को साक्षी के छोटे भाई झनक ने भगाकर ले गया था। यह स्वीकार किया है कि दुर्गा नाबालिग थी। यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण बोलने लगे थे कि उनकी बच्ची दुर्गा को वापस बुलवा दो। यह स्वीकार किया है कि झनक आज तक वापस नहीं आया है। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी. 3 का ए से ए भाग का कथन पुलिस ने कैसे लिख लिया नहीं जानता।

16. निर्मलाबाई (अ.सा.4) ने साक्ष्य दी है कि वह उभयपक्ष को जानती है। करीब 3 साल पूर्व सुबह 7 बजे मरारीटोला दमोह की घटना है। आरोपीगण लकड़ी लेकर साक्षी के घर में घुसकर साक्षी की सास, पति, देवर मिलन के साथ मारपीट किए थे। साक्षी की सास सुकबती का हाथ टूट गया था, मिलन का पैर टूट गया था, साक्षी के पति कंशलाल के कंधे पर चोट आयी थी। सूचक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि जो बात न्यायालय में कथन में बताई है वही बात साक्षी ने पुलिस को बताई थी। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी गणेश की बेटी दुर्गा है और झनक साक्षी के जेठ का बेटा है। झनक ने दुर्गा को भगाकर ले गया है। इसी बात को लेकर विवाद होने लगा था। यह इंकार किया है कि आरोपीगण के खिलाफ झूठे बयान दे रही है। यह इंकार किया है कि आरोपीगण ने मारपीट नहीं की। यह इंकार किया है कि

सुकबती, कंशलाल, मिलन को कोई चोट नहीं आयी। यह इंकार किया है कि उक्त तीनों गिरे थे इस कारण उन्हें चोट आयी थी। यह स्वीकार किया है कि घटना के बारे में पुलिस ने पूछताछ नहीं की।

17. अब्दुल मतीन (अ.सा.5), रामदीन (अ.सा.6), गुलेदीबाई (अ.सा.7) के कथनों में विचारणीय प्रश्न के निराकरण हेतु कोई साक्ष्य न होने से उनके कथन को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

18. लखन भिमटे (अ.सा.12) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.05.12 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुकबतीबाई विश्वकर्मा निवासी दमोह की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 44/11 धारा 294, 323, 506बी, 452/34 भादवि का अपराध आरोपी गसीलाल, गोविंद, गणेश के विरुद्ध दर्ज किया था जो प्र.पी. 1 है जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत कंशलाल, सुकबतीबाई, मिलन का मुलाहिजा करवाया था। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट सुकबतीबाई के बताएनुसार न लिखकर अपने मन से लेख की थी।

19. पंकज द्विवेदी (अ.सा.11) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.05.11 को थाना बिरसा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 44/11 धारा 294, 323, 506बी, 452, 34 भादवि की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादिया सुकबती की निशादेही पर प्र.पी. 2 का नक्शामौका तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। शेष मुख्य कथन प्रक्रिया बाबद है, गिरफ्तारी, कथन, जप्ती की कार्यवाही बाबद साक्ष्य है। चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर धारा 325 भा.द.वि. का इजाफा करना साक्ष्य दी है। शेष साक्ष्य लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

20. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया।

21. अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थीगण दुर्गा को पता करते हुए झनक के घर अर्थात् आहत व्यक्तियों के घर गये थे और दुर्गा के पतासाजी की बात की थी। श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि आहत व्यक्तियों के घर में गिर जाने से उन्हें चोटें आयी हैं, सुकबतीबाई का हाथ गिरने से टूटा है, के बाबद चिकित्सक साक्षीगण ने भी गिरने से चोट आ सकती है, कथन किया है। अपीलार्थीगण के

विरुद्ध धारा 452, 325, 323, 323, 34 भा.द.वि. का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है, दोषमुक्त किया जावे।

22. विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अधीन उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण को उचित रूप से दोषमुक्त करते हुए धारा 452, 325, 323, 323/34 भा.द.वि. के अधीन दण्डित कर साक्ष्य के मूल्यांकन में, तथ्य बाबद अथवा विधि बाबद कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सही है, हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

23. दण्ड के प्रश्न पर किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। किसी भी साक्षी के कथन में अथवा प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य में इस तथ्य की साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थीगण घटना के पूर्व दुर्गा को पता करने गये थे, अपीलार्थीगण ने गांव के 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आहत व्यक्तियों के घर साथ ले गये थे। दुर्गा के संबंध में कोई बैठक या पंचायत कराई थी। अभिलेख पर सीधी साक्ष्य है कि तीनों अपीलार्थीगण प्रार्थी आहत सुकबतीबाई के घर लाठियों के साथ गये, सीधे अंदर प्रवेश किए और सुकबतीबाई के साथ लाठियों से मारपीट की, बीच बचाव करने आए कंशलाल और मिलन के साथ भी मारपीट कर उपहति कारित की।

24. प्रस्तुत अपील में तथ्य के बाबद, साक्ष्य के मूल्यांकन बाबद और विधि के बाबद कोई भूल या चूक नहीं है, निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने नरम रुख अपनाते हुए दण्डादेश पारित किया है जिसमें भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

25. अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 18.09.2017 की पुष्टि की जाती है।

26. सजा वारंट पर टीप लेख हो कि अपीलार्थीगण की अपील निरस्त कर विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की है। नियमानुसार सजा भुगताई जावे।

27. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर विचारण न्यायालय के पास पृथक् दायरा पंजी न होने से अपीलीय न्यायालय के निर्णय का निष्कर्ष अंकित करने की आवश्यकता शेष नहीं रह गई है, इसलिए मूल अभिलेख, अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर